उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

सख्या-16/2015/ 1094/60-3-15-3(21)/97टीसी

लखनऊ: दिनांक: 20 मई, 2015

अधिसूचना

उ0प्र0 राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा-2 के खण्ड(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल निम्नांकित महिलाओं को उ0प्र0 राज्य महिला आयोग में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं, जो पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगी-

क्र0	नाम व पता
01	श्रीमती रंजना सिंह, फैजाबाद
02	श्रीमती अरूणा त्रिवेदी, ए-10, पार्क रोड विधायक निवास-6, लखनऊ
03	श्रीमती इन्द्रासन त्रिपाठी पत्नी स्व0 राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी पिछली खुर्द थरौली, गुबरहवा बाजार, निकट रेलवे स्टेशन, नौगढ, सिद्धार्थनगर

रेणुका कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या- 1094 (1) / 60-3-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) मा0 अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग।
2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3) निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
4) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5) सदस्य सचिव, राष्टीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
6) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

9) सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।

10) प्रमुख सचिव गृह/गोपन विभाग।

11) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, गोमतीनगर, लखनऊ।

12) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ।

13) सचिव, उ0प्र0 समाज कल्याण बोर्ड, कैसरबाग, लखनऊ।

14) सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ।

15) जिलाधिकारी, लखनऊ/फैजाबाद/सिद्धार्थनगर।

16) सम्बन्धित नामित सदस्य।

17) महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

18) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।